Court of Addl. Sessions Judge-XI
Kaimur At Bhabhua

ABP No- 596 of 2026
Arising out of Complaint case No. -478 of 2024

Serial No.	Date of Order of Proceeding	Order with Signature of the Court
1	2	3
	15.05.2026	परिवाद संख्या 478/2024 में आवेदक अभियुक्तगण ओंकार कुमार एवं कपिलदेव प्रसाद की ओर से गिरफ्तारी की आशंका के कारण अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्राप्त कराई गई है। विचारण न्यायालय का अभिलेख संलग्न है। परिवाद मामले का संक्षिप्त कथानक है कि परिवादी शुभम जायसवाल बैंक के माध्यम् से सी0एस0पी0 चलाता आया जिसके लिये पर्याप्त मात्रा में ग्राहकों को नकद लेन–देन हेतु नकद पैसे की आवश्यकता रहती आयी जिसकी पूर्ति संबंधित बैंक द्वारा नहीं हो पाती थी तथा उसका व्यापार नहीं चल पाता था। उसके मकान में रहने वाले मिथुन नाम के व्यक्ति ने बताया कि उसके पहचान का अशोक, उसकी मदद करता सकता है। बातचीत के दौरान अशोक, परिवादी को धनबाद बुलाया, जिस पर परिवादी गवाहान के साथ वहां गया जहां उसकी मुलाकात मनोज कुमार और श्वेता सिंह से हुयी तथा दोनों ने कहा कि जितना नगद चाहिये वह दे सकते हैं। परिवादी को मनोज का आर्मी का अफसर बताने वो श्वेता को अपना सब कागजात दिखाने के कारण विश्वास हो गया कि वे लोग बड़े आदमी है, काम कर देंगे। मनोज व श्वेता दोनों द्वारा बोला गया कि नगद के लिये उसे आना नहीं पड़ेगा बल्कि उसका आदमी कपिलदेव प्रसाद व कपिल देव का लड़का ओंकार पैसा परिवादी के घर पहुंचा देंगे। दो दिन बाद मनोज द्वारा कहा गया कि नगद चाहिये तो पैसा भेजो, जिस पर परिवादी अपने ग्राहक के खाते से दिनांक–29.02.2024 को 20 लाख रुपया अभियुक्तगण द्वारा दिये गये खाते में भेजवा दिया तो सभी अभियुक्तगण बोले कि पैसा आपके यहां पहुंच जायेगा, किन्तु परिवादी ग्राहक का पैसा दिया था जिसे उसे काफी परेशानी थी तो वे सभी लोगों से पैसा जल्दी देने के लिये बोला तो वे लोग फोन उठाना कम कर दिये। परिवादी उनके घर जाकर बोला कि उसका पैसा उसके खाते में भेज दीजिए तो ओंकार कुमार द्वारा 99,999 रुपया दिनांक–04.03.2024 तथा 25,000/–रुपया दिनांक–21.03.2024 को दिया गया तथा कहा गया कि कुछ गड़बड़ी हो गया है दे देंगे। इस बीच परिवादी कई बार अभियुक्तगण के घर गया, किन्तु ये लोग पैसा नहीं दिये वो बोले कि ये लोग यही काम करते है, पैसा नहीं देंगे जो करना है कर लो। तब परिवादी स्थानीय थाना चांद में अपनी बात रखा किन्तु दूसरे राज्य का मामला बताकर प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार कर दिया गया। अभियुक्तगण नगद पैसा दिलाने के नाम पर बेईमानी से परिवादी का पैसा हड़प लिये हैं। आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद मामले में उनके विरूद्ध 420/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। आवेदक अभियुक्तगण एक अन्य परिवाद मामले में अभियुक्त हैं जिसमें जमानत पर हैं। आवेदक अभियुक्तगण द्वारा

	Cont.. **15.05.2026**	परिवादी से कोई भी धनराशि नहीं ली गयी है तथा वह निर्दोष हैं। उनके विरुद्ध लगाया गया आरोप सिविल प्रकृति का है तथा उससे आपराधिक मामला आकर्षित नहीं होता। आवेदक अभियुक्तगण को दुश्मनीवश झूठे केस में बदनाम करने हेतु फंसाया गया है। वहीं आरोप परिवाद मामले पर आधारित है तथा आवेदक अभियुक्तगण के भागने या साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की मांग की गई। विद्वान अपर लोक अभियोजनक एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उभयपक्षों को सुना। अभिलेख परिशीलन से विदित है कि प्रस्तुत मामला परिवादी शुभम जायसवाल द्वारा दाखिल परिवाद मामले पर आधारित है, जिसमें जांच साक्ष्य लिये जाने के पश्चात् विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा आवेदक अभियुक्तगण एवं अन्य दो के विरुद्ध धारा–420/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला पाते हुये दिनांक–13.02.2025 के आदेश द्वारा विचारण हेतु आहूत किया गया है तथा आवेदकगण पर अभी तक समन व जमानतीय अधिपत्र मात्र निर्गत किया गया है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Special leave to appeal (Crl) No-16221/2025 में पारित आदेश दिनांक–23.04.2026 की कंडिका–10 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, परिवाद मामले में अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किये जाने के पूर्व पुलिस को गिरफ्तारी की शक्ति प्राप्त नहीं है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्तगण को गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है तथा आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। अतएव आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है। Sd/- A.S.J-XI Kaimur at Bhabhua